न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू-अर्जन प्र.क48/अ-82/2014-15
ग्राम बड़माल प.ह.नं. 30
तहसील पुसौर जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक.

विरूध्द

1 अरविन्द कुमार पि. श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल सदर बाजार रायगढ़ भूमि स्वामी
2 ईश्वर, गोपाल पिता शौकीलाल, ललित, पुष्पा, सविता पिता शौकीलाल, महादेव जनक पिता डिगरो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
3 जशवीर पि. दलवीर जाति सिक्ख सा बेलपहाड उडिसा भू स्वामी
4 दिनबंधु दैतारी पि. द्रुपत जाति माली सा बोइरदादर रायगढ़ भू स्वामी
5 दशरथ सान्तनू सुमिधा पि. खुदलू समारू उर्मिला पि. महाजन जमुना पिता लैखन जाति केंवट सा देह भू स्वामी
6 दादूलाल पि भूखी जाति उरांव सा कलमा तहसील डभरा भू स्वामी
7 परदेशी पिता अतवा जाति उरांव सा कलमा तह डभरा सा देह भूमि स्वामी
8 भगवन्त कौर जौजे बलदेव जाति सिक्ख नि टाटा नगर उड़िसा भूमि स्वामी
9 भागवतिया पि. गजराज जाति गोंड भू स्वामी
10 मूनचीत अर्जुन विष्णु सुकान्ति पि. सार्तिक जाति केवट भू स्वामी
11 मिनकेतन पि बुधुराम जाति संवरा सा तेतला देह भू स्वामी
12 रतिकुमार पिता खगेश्वर जाति कोष्टा सा देह भूमि स्वामी
13 रूपलाल पि शंकर भास्कर पि रामेश्वर बेंची बेवा रामेश्वर जाति गोड सा देह भू स्वामी
14 ललिता बेवा मंगल जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
15 बिक्की पिता गजानन्द, सुरेखा पिता हरि, कृष्णचंद पिता वासुदेव जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
16 स्वतंत्र कुमार उमेशकुमार पि. जयकुमार उमा बेवा जयकुमार जाति केंवट भू स्वामी
17 सरधाकरो पि. बोलो जाति केंवट सा देह भूमि स्वामी
18 करमु पिता जादवो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
19 तुलेश्वर पि. सुखदेव मो. रसमती बेवा सुखदेव जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
20 मुन्नी पि. रामकुमार जाति कलार सा देह भूमि स्वामी
21 सुभाष, शिला, सुधा पिता पद्मलोचन, बोदाई बेवा पद्मलोचन, पदमन पिता चन्द्रभानु जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
22 हीरालाल पि कान्हू जाति गोड सा देह भू स्वामी
23 श्रवण सरोज पि नान्हेराम सुकमति बेवा नान्हेराम जाति गोड सा देह भू स्वामी
24 श्रवण सरोज पि नान्हेराम सुकमति बेवा नान्हेराम जाति गोड सा देह भू स्वामी
25 गोपाल कुमार पिता पवन कुमार जाति अग्रवाल नि रायगढ़ भूमि स्वामी
26 हरिशंकर पिता माखन जाति रावत सा देह भूमि स्वामी
27 डिगर निराकर हान्डू पि. रत्ना जाति कोलता-- अनावेदकगण.

Scanned by CamScanner

अवार्ड आदेश
(दिनांक 23-01-2017)

यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/12/08/15 बड़माल दिनांक 20.08.2015 के अनुसार ग्राम-बड़माल प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. पुसौर तह.-पुसौर जिला रायगढ़ के निजी भूमि कुल ख.नं.69 कुल रकबा8.834है. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105(3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम बड़माल के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा न.	रकबा(हे.) में	खसरा न.	रकबा (हे.) में	खसरा न.	रकबा(हे.) में	खसरा न.	रकबा(हे.) में
224	0.020	251/2	0.018	26/3	0.275	239/2	0.202
144	0.231	229	0.053	29/4	0.085	96/1	0.012

Scanned by CamScanner

145	0.036	228	0.263	30	0.198	106	0.101
250	0.203	235/2	0.065	226/2	0.567	226/1	0.571
90	0.020	235/3	0.093	227	0.186	249	0.053
91/1	0.145	251/1	0.053	146	0.020	217	0.061
24/1	0.364	92	0.113	147	0.024	253	0.081
29/1	0.073	107	0.085	23	0.121	265	0.445
40/4	0.020	108	0.081	25	0.628	214/1	0.182
230	0.466	220	0.012	88	0.004	214/3/2	0.225
232/3	0.061	237	0.105	22/1	0.036	266/1	0.040
233/1	0.121	225	0.061	22/2	0.065	91/2	0.036
232/2	0.093	254	0.020	93/1	0.080	91/3	0.036
233/2	0.105	238	0.093	93/2	0.121	221/1	0.233
231/1	0.126	29/3	0.121	143/1	0.020	221/1	0.020
234/1	0.081	215/1क	0.036	239/1	0.198	231/2	0.145
221/2	0.084	221/3	0.129	111/1	0.008	232/1	0.028
26/1	0.020						
योग – कुल ख.नं. 69 कुल रकबा 8.834 हे.							

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 2/10/15
2. स्थानीय समाचार पत्र ईस्पात टाईम्स दिनांक 27/10/2015
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 29/10/2015
4. ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 30/10/2015

(3) प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् श्री सुरेश कुमार पिता शंकर लाल निवासी लैलूँगा जिला रायगढ़ खसरा नं. 221/4, 221/5 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों आवेदक निकाय एवं तहसीलदार पुसौर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

1. शिकायतकर्ता का भूमि खसरा नं. 221/4, 221/5 रकबा 0.040, 0.202 हे. 0.040 हे. रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित कि जा चुकी है। किन्तु मुआवजा देने कि लिस्ट में छुट गया है। अतः उक्त रकबा 0.242 हे. भूमि मुआवजा देने कि लिस्ट में जोड़ा जाये ।
   राजस्व पटवारी द्वारा स्थल मुआयना के पश्चात तैयार किये गये नक्शे के अनुसार वर्तमान में शिकायतकर्ता कि खसरा नं 221/4, 221/5 रकबा 0.040, 0.202 हे. भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
2. सुयश कुमार आत्मज प्रवण निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़ छ.ग. ख.न.227
3. श्रीमती अंजू अग्रवाल पिता श्रवण अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी नगर निगम के सामने रायगढ छ.ग. ख.न. 30
4. शिक्षा आ. श्रवणकुमार अग्रवाल नि. नगर निगम के सामने रायगढ़ ख.न. 30
5. सावित्री देवी पति सजन कुमार वगै. निवसी लैलूंगा जिला रायगढ़ ख.न. 226/2
6. श्रवणकुमार आ. महावीर प्रसाद निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़ ख.न. 30
7. महावीर प्रसाद अग्रवाल आ. हरदेव निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़ ख.न. 227
8. राजू सिदार व. जगतराम वगै. ग्राम कोसमपाली तह.व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
9. अमृतवेक व. गब्रियल वगै. ग्राम रामभांठा रायगढ तह व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
10. नबा प्रियंका व. एडमोन दिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
11. नबा अंकिता, रजनी व. कारतूस वगै. दिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
12. कोर्नेलिया बाअ पति एडमोन वगै. नि. दिमरापूर रायगढ़, तह व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
13. प्रेमशिला तिग्गा पिता धरम साय वगै. टीबी टाबर रोड रायगढ़ ख.नं. 226/1
14. कुमारी गरिमा सिंह व. सुरेश चन्द्र वगै. नि. मधूबन पारा रायगढ़, तह. व दृ जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
15. जितेन्द्र कुमार सिंह व. सुखलाल वगै. दिमरापुर रायगढ़ तह. व. जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
16. उर्मिला पति पी.पी खलखो वगै. रामभांठा रायगढ़ तह. व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
17. देवनिस मिंज व. पौलूस वगै. रामभांठा तह. व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1

Scanned by CamScanner

18. गंगाधर आ. दुलारसिंह नि. गुढेली सारंगढ़ रायगढ़ ख.नं. 214/3
19. नाबा विवेकानंद पिता सुभाषचन्द्र जाति गौंड़ नि. हिमगीर जिला सुंदरगढ़ ख.नं. 214/3
20. सुभाषचन्द्र पिता डमरूधर जाति गौंड नि. हिमगीर सुंदरगढ़ ख.नं. 214/3
21. ना.बा. धाबालेश्वर आ. सुभाषचन्द्र जाति गौंड पिता सुभाष नि. हिमगीर जिला सुंदरगढ़ ख.नं. 214/3
22. लक्ष्मीन आ. बालकराम नि. मालखरौदा जिला जॉजगीर चांपा ख.नं. 214/3
23. संजय अग्रवाल आ. स्व. राधेश्याम, सीमा अग्रवाल पति संजय अग्रवाल नि. गॉधीगंज रायगढ़ ख.नं. 226/2
24. मुकेश अग्रवाल आ. महावीर प्रसाद अग्रवाल नि. ओवर ब्रीज के नीचे जूट मील रोड़ रायगढ़ ख.न. 238
25. दिनेश कुमार अग्रवाल आ. महावीर, विनय अग्रवाल पिता दिनेश अग्रवाल,श्रीमती बीना अग्रवाल पति दिनेश अग्रवाल,कुमारी नीधि अग्रवाल आ. दिनेश अग्रवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने। ख.न. 238
26. आशीष अग्रवाल आ. नटवरलाल अग्रवाल,श्रीमती अनुश्का अग्रवाल पति आशीष अग्रवाल,श्रीमती कामता देवी अग्रवाल पति स्व. नटवरलाल अग्रवाल,शाश्वत अग्रवाल आ. मुकेश कुमार ग्रवाल,श्रीमती सुनिता देवी अग्रवाल पति मुकेश अग्रवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने रायगढ़ ख.न. 238
27. विक्की आ. गजानंद, सुरेखा व. हरि, कृष्णचंद आ. वासुदेव। सभी जाति कोलता एवं सभी निवासी ग्राम बडमाल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ ख.न. 238
28. विक्की आ. गजानंद, सुरेखा व. हरि,कृष्णचंद आ. वासुदेव। सभी जाति कोलता एवं सभी निवासी ग्राम बडमाल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़
29. विक्की आ. गजानंद, सुरेखा व. हरि,कृष्णचंद आ. वासुदेव। सभी जाति कोलता एवं सभी निवासी ग्राम बडमाल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ ख.न. 238
30. महेन्द्र कुमार जयसवाल आ. विश्वनाथ, नाबा अंकित जायसवाल आ. राजकुमार जयसवाल,नाबा नेहा जयसवाल आ. राजकुमार, नाबा अलज जायसवाल आ. राजकुमार जायसवाल, सभी पा. पिता राजकुमार जायसवाल राजापारा रायगढ़.ख.न. 205/2,215/1क,215/1ख/2, 215/3, 215/231.
31. राजकुमार जायसवाल आ. भगवान दास जायसवाल, राजापारा रायगढ़ ख.न.215/1ख
32. दादुलाल उरांव आ.भुखी उरांव निवासी ग्राम कलमा तह-डभरा जिला-जांजगीर चांपा (छ0ग0) ख.न. 232/2,,233/1,230
33. परदेशी आत्मज एतवा निवासी ग्राम कलमा तह-डभरा जिला-जांजगीर चांपा (छ0ग0) ख.न. 221/3,232/2,233/2, 247/1घ

1. भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।
2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।
3. (अ) नवीन भूमि अर्जनपुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जोकि त्रुटीपूर्ण है।
   (ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12 प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा।
4. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।
5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विकय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

1. प्रकरण में (2-33) धारा 11 का प्रकाशन राजस्व विभाग छ.ग.शासन द्वारा आपत्तिकर्ताओं का निराकरण नियमानुसार किया गया:-
   (क) राजपत्र दिनांक 2. अक्टूबर 2015,
   (ख) क्षेत्रिय समाचार पत्र (दैनिक भास्कर 29.10.15),
   (ग) स्थानीय समाचार पत्र (ईस्पात टाईम्स 27.10.15)
   (घ) ग्राम सूचना 30.10.15 को कराया गया ।
2. प्रारंभिक अधिसूचना रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा निहित प्रपत्र में रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा प्रकाशित कराई गई है। वर्तमान में बडमाल ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

3. (अ) छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के कमांक एफ.4-28/सात-1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

   (ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर किया जावेगा।

4. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशन वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।

5. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिश्नर बिलासपुर द्वारा पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन निती अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।

34. रति कुमार आ. खगेश्वर , मोहितकुमार आ. नान्हूराम, सुरेश कुमार आ. नान्हूराम नि. बडमाल जिला रायगढ़, 48/2, 49/2, 57/2, 87/2, 92/2, 107/2, 108/2, 134/4, 220/2, 260/6, 243/2, 243/3,244/2 245/2, 246/2, 285/1/2, 401/2, 48/3, 49/3, 57/3, 87/3, 92/3, 107/3, 108/3, 134/5, 220/3, 307/7, 343/2, 343/3, 344/3, 345/3, 346/3, 385/1/3, 401/3 :-

1. शिकायतकर्ता कि वर्णित भूमि कुल खसरा नं.15 व कुल रकबा 3.518 हे. भूमि वर्तमान में रतिकुमार आ. खगेश्वर, मोहित आ. नान्हूराम, सुरेश आ. नान्हूराम के नाम से शामिल सरिख रूप से रा.अभिलेख में दर्ज है। वर्णित भूमि पूर्व में खगेश्वर , नान्हूराम आ. रामचरण देवांगन के नाम से भू अभिलेख में दर्ज है। शिकायतकर्ता के पिता खगेश्वर के फौत होने के पश्चात आपत्तिकर्तागण का नाम रा. अभिलेख में विधी सम्मत दर्ज हुआ । अतएव उक्त भूमि पैत्रृक भूमि है।उक्त बटवारा सर्व सम्मती से विधीवत शासन के द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत अविवादीत बटवारा ग्राम पंचायत बड़माल में विधीवत प्रस्ताव पारित कर ना.क.22दिनांक 12.04.2013 एवं तहसीलदार पुसौर के आदेश दिनांक 28.05.2013 के अनुसार बंटवारा कर ऋण पुस्तिका पृथक -पृथक प्रदान किया गया जो कि विधि सम्मत है । भू अर्जन की अग्रीम कार्यवाही से समस्त आपत्तिकर्तागण का नाम दर्ज किया जाना न्यायससंगत है, चूकी उक्त भूमि पैत्रृक भूमि है एवं बटवारे के अनुसार पृथक -पृथक प्रभावित भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा की गणना किया जाकर नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार 4 गुना के दर से मुआवजा प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।
2. भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।
3. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।
4. (अ) नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जो कि त्रुटीपूर्ण है।
   (ब) नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12: प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।
5. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।

Scanned by CamScanner

8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास नीति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक वार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू - अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/-रू. प्रति एकड़ अनुषांतिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/-रू.बढ़ाया जावेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में नहीं हुआ है और न ही इस संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू-स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू- अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना /जानकारी देने के उपरांत ही भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी. लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े । यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के संवैधानिक हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

10. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

11. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम -गाहिलगढ (प.) विंध्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/-रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्गफूट वर्ष 14-15 की गाईड लाईन की दर से मुआवजा प्राप्त में (सुन्दरगढ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

प्रकरण में (11-31) अधिनियम की धारा 21 में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार कंडिकाओं का किया गया है :-

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई-राजपत्र के रूप में समुचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की गई है। ग्राम बडमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 30.10.15 के अनुसार 31.12.2015 तक 60 दिन की समयावधि में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधारण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को किया गया एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी सिलाईपाली द्वारा भू-अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-

1. छ.ग. राजपत्र - 2.10.15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई - राजपत्र - 2.10.2015
3. स्थानीय समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 27.10.2015

Scanned by CamScanner

द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू-अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2. रेंगालपाली एवं टारपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित रिट पिटिशन कमांक कमशः WPC1507/2016 एवं 1508/2016 कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकियाधिन है एवं छ.ग. शासन वगैरह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में प्रकियाधिन है।

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-

1. छ.ग. राजपत्र - 2.10.2015
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई - राजपत्र - 2.10.2015
3. समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 27.10.2015
4. समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 29.10.2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30.10.2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. कमिश्नर बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

5. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27/06/16 एवं पुनः 30/07/16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू -अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम में एवं रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया है।

6. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पश्चात् नियत समय सिमा के अन्दर प्रस्तुत आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया गया है।

7. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 के अध्याय 1 का कंडिका 2 में उल्लेख है कि ये भूमि अर्जन के मामलों में लागू होंगे जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वसिन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें आगे अधिनियम कहा गया है।) के अनुसार केन्द्रिय सरकार समुचित सरकार है।

11. सुयश कुमार आत्मज श्रवण निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़ छ.ग.
12. श्रीमती अंजू अग्रवाल पिता श्रवण अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी नगर निगम के सामने रायगढ छ.ग.
13. कु.शिक्षा आ. श्रवणकुमार अग्रवाल नि. नगर निगम निगम के सामने रायगढ़
14. सजन कुमार अग्रवाल वगै0 लैलुंगा
15. श्रवणकुमार आ. महावीर अग्रवाल निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़
16. महावीर प्रसाद अग्रवाल आ. हरदेव निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़
17. अरूण कांति रामभांठा रायगढ़
18. गरिमा सिंह मधुबन पारा रायगढ़
19. देवनिश मिश्रा,आशादिप मिश्रा
20. राजू सिदार व. जगतराम वगै. ग्राम कोसमपाली तह.व जिला रायगढ़
21. अमृतवेक व. गढियल वगै. ग्राम रामभांठा रायगढ तह व जिला रायगढ
22. नवा प्रियंका व. एडमोन दिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगढ़
23. नवा अंकिता, रजनी व. कारतूस वगै. दिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगढ़
24. कोर्नेलिया बाअ पति एडमोन वगै. नि. दिमरापूर रायगढ़, तह व जिला रायगढ़

Scanned by CamScanner

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, वेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।
2. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू-अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अहेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।
3. यह कि धारा 11 के वेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
4. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
5. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य व अवैधानिक है।
6. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
7. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समस्तपहारों जैसे- बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़

Scanned by CamScanner

6. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

34 प्रकरण में धारा 11 का प्रकाशन राजस्व विभाग छ.ग. शासन द्वारा आपत्तिकर्ता का निराकरण नियमानुसार किया गया :-

1. रतिकुमार पिता खगेश्वर जाति कोष्टा सा देह भूमि स्वामी के नाम पर अंकित है।
2. धारा 11 का प्रकाशन रा0 विभाग छ.ग.शासन द्वारा
   (क) राजपत्र दिनांक 2. अक्टूबर 2015,
   (ख) क्षेत्रिय समाचार पत्र (दैनिक भास्कर 29.10.15),
   (ग) स्थानीय समाचार पत्र (ईस्पात टाईम्स 27.10.15)
   (घ) ग्राम सूचना 30.10.15 को कराया गया ।
3. प्रारंभिक अधिसूचना रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा निहित प्रपत्र में रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा प्रकाशित कराई गई है। वर्तमान में बड़माल ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।
4 (अ) छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के क्रमांक एफ.4-28/सात-1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
   (ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर किया जावेगा।
5. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशन वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।
6. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिश्नर बिलासपुर द्वारा पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन निती अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।

(4) प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोशणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग-1 पृ.क्र. 997,
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. रायगढ़ संदेश में दिनाक. 14.5.2016
   2. दैनिक भास्कर में दिनाक. 12.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 17.5.2016 प्रकाशन किया गया।

प्रकरण में धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू-स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, पुसौर एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :-

1 नाखा0 धवलेश्वर पिता सुभाषचंद्र भोई नि0 बेंदरी चुआ तह0 हिमगीर सुन्दरगढ़ उड़सा भूमि स्वामी
2. त्योकिल लकड़ा पिता मारसेल लकड़ा दिमरापुर रायगढ़
3. प्लासीदिया खलखो पति प्रदिप खलखो रामभांठा जिला रायगढ़
4. सुरेश खलखो रामभांठा तह0 जिला रायगढ़
5. प्रदीप खलखो जोसेफ खलखो रामभांठा तह0जिला रायगढ़
6. दुलार सिंह पिता मोहन सिंह नि0 गुड़ेली तह0 सारंगढ़ रायगढ़
7. अलमा खलखो ग्राम डन्डाजोर तह0 कांसाबेल जिला जशपुर
8. नंमाचर आ. दुलारसिंह नि. गुढेली सारंगढ़
9. सुभाषचन्द्र पिता डमरूधर जाति गोंड नि. बेंदरीचुआ हिमगीर सुंदरगढ़
10. लक्ष्मीन आ. बालकराम नि. मालखरौदा जिला जॉजगीर चांपा
11. रतिकुमार पिता खगेश्वर जाति कोष्टा सा देह भूमि स्वामी

Scanned by CamScanner

25. प्रेमशिला तिग्गा पिता धरम साय वगै. टीबी टाबर रोड रायगढ़
26. जितेन्द्र कुमार सिंह व. सुखलाल वगै. डिमरापुर रायगढ़ तह. व. जिला रायगढ़
27. मुकेश अग्रवाल आ. महावीर प्रसाद अग्रवाल नि. ओवर ब्रीज के नीचे जूट मील रोड़ रायगढ़
28. दिनेश कुमार अग्रवाल आ. महावीर,विनय अग्रवाल पिता दिनेश अग्रवाल, श्रीमती बीना अग्रवाल पति दिनेश अग्रवाल,कुमारी नीधि अग्रवाल आ. दिनेश अग्रवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने
29. आशीष अग्रवाल आ. नटवरलाल ,श्रीमती अनुश्का,अग्रवाल पति आशीष अग्रवाल, श्रीमती कामता देवी अग्रवाल पति स्व. नटवरलाल, शाश्वत आ. मुकेश अग्रवाल, श्रीमती सुनिता देवि अग्रवाल पति मुकेश अग्रवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने रायगढ़
30. परदेशी पिता अतवा जाति उरांव सा कलमा तह डभरा सा देह भूमि स्वामी
31. दादूलाल पि भूखी जाति उरांव सा कलमा तहसील डभरा भू स्वामी

1. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू - अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।
2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।
3. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू - अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण में आता है। तथा टुकड़ा नक्शा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।
5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।
6. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाएगा । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

Scanned by CamScanner

4. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 29.10.2015

5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30.10.2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस भू - अर्जन प्रकरण में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर भू - अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. कमिश्नर बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ कराया गया है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

7. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पश्चात् नियत समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया गया है।

8. दिनांक 02.10.2014 को जिला स्तरीय पूनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिशनर बिलासपुर) के द्वारा भूमि, अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय श्री रामसेवक पैंकरा मंत्री छ0ग0 शासन एवं प्रभारी मंत्री रायगढ़ जिला -अध्यक्ष, एवं माननीय श्री रोशनलाल अग्रवाल विधायक विधान सभा क्षेत्र रायगढ़ सदस्य, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात दिनांक 08.07.2014 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

9. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज भूमिस्वामी को धारा 21 की सूचना दी गई, एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया गया है।

10. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27/06/16 एवं पुनः 30/07/16 को धारा 21 की सुनवाई पूर्ण की गई है। धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया।

11. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /बिक्री खंट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

82. बाबा विवेकानंद पिता सुभाषचन्द्र भोई जाति गौंड़ नि. बेंदरीचुआ हिमगीर जिला सुंदरगढ़ उड़िसा

Scanned by CamScanner

1. अधिनियम की धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
3. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू-अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू - अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।
8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि

Scanned by CamScanner

करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धारा 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें।
यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक धार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू - अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/-रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/-रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू-स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।
12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम -गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/-रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/-(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू-अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

1. कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलापुर के ज्ञापन क्रमांक 3062/राजस्व/भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 के द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन पुनः स्थापना के सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया गया है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है। जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।
2. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के प्रकाशन पश्चात् प्राप्त आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया गया है।
3. ग्राम रेंगालपाली एवं टारपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित रिट पिटिशन कमांक कमशः WPC1507/2016 एवं 1508/2016 कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है एवं छ.ग. शासन वगैरह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जावेगा।
4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई-राजपत्र के रूप में समुचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित की गई है। ग्राम बडमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन दिनांक

Scanned by CamScanner

30.10.15 के अनुसार दिनांक 31.12.2015 तक 60 दिनों की समयावधि में प्राप्त आपत्ति-दावा विचार के लिय स्वीकार की गई है।

6. अधिनियम की धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.06.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत दिनांक 27.06.16 एवं पुनःदिनांक 30.07.16 को धारा 21 की सुनवाईं पूर्ण हुई। धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म में दिनांक 12.5.2016 एवं दैनिक नवभारत पत्र में दिनांक 11.5.2016 ग्राम बड़माल में दिनांक 17.5.2016 को प्रकाशन तथा रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया है।

7. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन दिनांक 31.08. 2015 को कर दिया गया था एवं महाप्रबंधक एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा द्वारा भू-अर्जन की अनुमानित राशि 344033687/- भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-
   1. छ.ग. शासन के राजपत्र में दिनांक - 2.10.15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई - राजपत्र - 2.10.2015
   3. समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 27.10.2015
   4. समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 29.10.2015
   5. ग्राम बड़माल में प्रकाशन दिनांक 30.10.2015

   उपरोक्तानुसार दावा-आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (1) की घोषण का प्रकाशन करवाया गया।

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में राजस्व अभिलेख के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार निमयानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर भू - अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

10. प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख के अनुसार अर्जित होने वाली भूमि के दर्ज भूमिस्वामी को धारा 21 की सूचना दी गई है,

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया था। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8/07/14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /खिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। (भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़

33. महेन्द्र कुमार जयसवाल आ. विश्वनाथ, नाबा अंकित जायसवाल आ. राजकुमार जयसवाल,नाबा नेहा जयसवाल आ. राजकुमार, नाबा. अनिल जायसवाल आ. राजकुमार जायसवाल अनुज जयसवाल वल्द राजकुमार जयसवाल (1) यह है कि आवेदन द्वारा ग्राम बड़माल प.ह.नं. 30 तह पुसौर जिला रायगढ़ मे स्थित

Scanned by CamScanner

ख.नं. 215/1क रकबा 0.142 हे. कृषि भूमि आज से दिनांक ख.नं. 215/1/2ख रकबा 0.054 हे दिनांक 19.06. 2013 को प्रतिफल राशि एवं शासन के द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क अदा कर विधिवत उपपंजीयक कार्यालय मे क्रेता विक्रेता एवं गवाहो की उपस्थिति मे पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन कराया गया है एवं उक्त दिनांक से खसरा नं. 215/1/क रकबा 0.142 हे. कृषि भूमि का स्वत्व एवं प्राप्त किया गया है।

1. स्थानिय दैनिक समाचार पत्र जनकर्म मे प्रमाणित दिनांक 17.06.2016 मे भू -अर्जन की अग्रिम कार्यवाही मे आपत्तिकर्ता के क्रय शुदा भूमि का माननीय तहसीलदार पुसौर के समक्ष नामान्तरण कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत ऋृण पुस्तिका प्रदान किया गया है। जिसके तहत खसरा नं. 215/1क रकबा 0.142 ख.नं. 215/1/2ख रकबा 0.054 है। अतएव उक्त भूमि पर भू-अर्जन की कार्यवाही आवेदक आपत्तिकर्ता के सहमती से किया जाना न्यायोचित होगा।
2. यह कि आवेदकगण की भूमि पर शासकीय मद से सबसिडी प्राप्त करके पाम आयल का वृक्ष लगाया गया है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत उक्त वृक्ष का निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कर आवेदकगण को प्रदाय किया जाना न्यायसंगत है। मुझे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि तथा उद्यान विभाग, रायगढ़ द्वारा स् 13-14 में 10,704 सबसीडी प्रदान की गयी जीसका चेक की छाया प्रति संलग्न है।
3. यह कि सम्पति का अधिकार अनुच्छेद 300 (क) के प्रावधन के अनुरूप सवैधानिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है। तथा किसी के सम्पति को किसी भी प्रयोजन हेतु जबरन हड़पना न्याय के विपरित है। उपरोक्त स्थिती से अवगत कराये जाने के पश्चात भी उक्त भूमि के रजिस्ट्री के संदर्भ में उचित प्रकिया के तहत विधि अनुरूप कार्यवाही नही किया जाता है तो नवीन भू -अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 84-87 तहत दंडनीय है। इस हेतु अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आवेदक /आपत्तिकर्ता विधि अनुरूप सवतंत्र है।
4. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में सूचना की कंडिका 4 में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है, जो कि संदेहास्प है।
5. भारत सरकार के राजपत्र में दिनाकं 28.10.2015 का इस आशय का नोटिफिकेशन किया गया है कि नवीन भू -अर्जन अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है, जिसमें अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धो का पालन किया जाना अनिवार्य है किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना के कंड़िका 5 में उक्त उपबन्धों का छ. ग. शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र के आधार पर छुट दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। विदित हो कि नवीन भू- अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मुल्य के अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामले मे उस भूमि के बावत ऐसे बाजार मुल्य का धारा 4 के उपधारा 2 के अधिन सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्ययन क अधिसूचना प्रकाशन के तारिख से प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमे जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12:प्रति वर्ष अध्याय दो या छुट के आधार पे भू - अर्जन की अग्रिम कार्यवही किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानो के विपरित है। उक्त प्रावधन के संदर्भ में छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14.09.2015 रिट क0 1443/15 अवलोकनिय है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
6. यह कि भू -अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 4 में पड़ उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का संव्यवाहन करेगा या कोई संव्यवाहन नही करेगा। अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलागमन सृजीत नही करेगा। अतएव इससे भी स्पष्ट है कि नवीन भू-अर्जन अधिनियम धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया संव्यवहार विधि सम्भव है। चूंकि आपत्तिकर्ता के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 को धारा धारा 11 को उपधारा 1 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है ऐसी स्थिती मे उक्त पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
7. उक्त जमीन के सम्बन्ध में तृतीय व्योहार नायधीश वर्ग 2 रायगढ़ में मुकदमा (बाद) लम्बीत है जिसका सिवील 89A/14 आडर सिट की कापी आवेदक द्वारा आपके न्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. यह कि मेरे द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 1 में आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन उसकी निराकरण करते हुए उक्त जमीन पर धारा 21 के कारवाई की गई जो कि विधि अनुरूप करवाई नही कि गई।

Scanned by CamScanner

9. यह कि मेरे द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11 के उप धारा 1 में आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी लेकिन उसकी निराकरण करते हुए उक्त जमीन पर धारा 21 कार्यवाही की गई जो कि विधि अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई।

1. प्रकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वतंत्र कुमार, उमेश कुमार पिता जयकुमार उमा वेवा जयकुमार केवट के नाम दर्ज ख.नं. 215/1क रकबा 0.036 हे. भूमि का भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

2. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में ख.नं. 215/1क स्वतंत्र कुमार, उमेश कुमार पिता जयकुमार उमा वेवा जयकुमार केवट के नाम दर्ज है।

3. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों दर्ज अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। तथा भूमि एवं भूमि पर स्थित परिसंपति के प्रतिकर का निर्धारण प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम पर किया जावेगा।

4. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में दर्ज भूमिस्वामी के नाम से अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। आपत्तिकर्ता अपने स्वत्व के संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, तथा मान.न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जावेगा।

5. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.शासन द्वारा विहित प्रपत्र में कराई गई है। वर्तमान में ग्राम बड़माल में एनटीपीसी तलाई पाली रेल परियोजना से किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं है।

6. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रवाधनो से 2 मार्च 2015 को छ.ग.शासन के द्वारा असाधारण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारिडोर एवं अन्य परियोजनाओं को छुट प्रदान की गई थी। इन प्रकरणों में छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर किया जावेगा।

7. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में दर्ज भू-स्वामी के नाम से अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। आपत्तिकर्ता अपने स्वत्व के संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोश प्राप्त कर सकता है, तथा मान.न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जावेगा।

8. माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन किया जावेगा।

9 आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रकरण में आगे की कार्यवाही की गई है।

35. भगवन्त कौर जौजे बलदेव जाति सिक्ख नि नेतनांगर तह0 पुसौर जिला रायगढ़- आपके द्वारा प्रेषित नोटिस में आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 231/1 रकबा 0.126 हे. ग्राम बड़माल प.ह.नं.30 तह. पुसौर जिला रायगढ़ में स्थित है उक्त भूमि मुख्य रोड़ से लगा हुआ है और किमती है, जिसका बाजार भाव प्रति एकड़ 50,000,00/-रू. से अधिक है तदानुसार मुआवजा राशि दिया जावे। उक्त भू-अर्जन की भूमि सिंचित एवं दो फसली है जिसे आपत्तिकर्ता व्यवसायिक प्रयोजन हेतु यदि भू-अर्जन किया जाता है तो उसका मुआवजा पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवजा दिलाई जावे। आपत्तिकर्ता के परिवार उक्त भूमि के फल पर आश्रित वे इसलिए आपत्तिकर्ता को उसके आश्रित पुत्री गरूजिन्दर कौर व पुत्र गुरूजीत सिंह को भी बोनस राशि एवं 1 वर्ष का लाभान्स प्रदान किया जावे।

स्थल जांच में अधिग्रहण की जा रही भूमि ख.नं. 231/1 रकबा 0.126हे. मुख्य मार्ग से लग कर है। भूमि का मुआवजा अधिकतम दर पर की जावेगी। तथा अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

36. दिनबंधु दैतारी पि. द्रुपत जाति माली सा बोइरदादर रायगढ़ भू स्वामी भू अर्जन के अन्तर्गत जमीन एवं बौर जाने पर मुआवजा राशि एवं नौकरी देने का कृपा करे। मुआवजा राशि चार गुना दिया जाए एवं छोटे बचे जमीन को लिया जाए।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार पुसौर एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा स्थल जांच में बोर प्रभावित नहीं हो रहा है। अधिग्रहण की जा रही भूमि ख.नं. 90 रकबा 0.020हे. 91/1 रकबा 0.145हे. भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि एवं अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ दिया जावेगा।

37. दशरथ,सान्तनू,सुमित्रा पि.खुदलू समारू उर्मिला पि.महाजन जमुना पिता लैखन जाति केंवट सा देह भू स्वामी निवेन है कि आवेदक दशरथ वगै. पिता खुदलू ग्राम बड़माल तह. पुसौर कुल ख.नं. 19रकबा 5.192हे. स्थित है जिसमें खसरा नम्बर 24/1,29/1,40/4 अधिग्रहण रेल लाइन में जा रहा है। यह कि भूमि अधिग्रहण जारी नोटिस में ख.नं. 40/4 वर्णित है जो कि किसान किताब में 40/1 है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ख.नं. 40/4 के स्थान पर 40/1 सुधार किया जाकर पुनः नोटिस जारी किये जाने की कृपा करें।

तहसीलदार पुसौर एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के द्वारा स्थल जांच एवं अभिलेख में आवेदक के नाम पर ख.नं. 40/4 रकबा 0.020हे. भूमि दर्ज है, जो अधिसूचित है। भू-अर्जन में प्रभावित है। ख.नं. 40/1 प्रभावित नहीं हो रहा है।

38. सरधाकरो पिता बोलो जाति केवट सा देह भू-स्वामी उक्त अधिग्रहित ख.नं. 2/3 रकबा 0.055हे. एवं ख. नं. 30 में रकबा 0.033हे. भूमि बच रहा है, जो अधिग्रहित भूमि के अंतर्गत स्थित है। अतः महोदय से निवेदन है कि आवेदक की उक्त बचत भूमि जो अधिग्रहित भूमि के अंतर्गत स्थित है का भी अधिग्रहण किये हेतु आदेश देने की कृपा करें।

प्रस्तावित ख.नं. 26/3 रकबा 0.330हे. में से 0.150 हे. भूमि एवं ख.नं. 30 रकबा 0.231 में से 0.198हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। शेष रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः प्रस्तावित रकबा से अधिक का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।

39. मुन्नी पि. रामकुमार जाति कलार सा देह भूमि स्वामी (दो प्रति आपत्ति दिया गया है)

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू - अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

3. यह कि उक्त प्रतावित भू-अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू-अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

Scanned by CamScanner

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू - अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम बड़माल प.ह.नं. 30 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू-अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्मचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू - अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/-रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/-रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में

Scanned by CamScanner

सचिवालय रायपुर से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम गहिलगढ़ (पं.) विंध्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/-रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/-(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू - अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

1. कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनर्वसिन योजना के सार का प्रकाशन धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है। एवं पुनर्वसिन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिये उपलब्ध है। जो कि धारा 19 के (राजपत्र / समाचार पत्र/ ग्राम प्रकाशन/वेबसाईड प्रकाशन) में भी उल्लेखित किया गया है।

2. प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात अधिनियम की धारा 19 प्रकाशन का प्रकाशन किया गया है।

3. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज भू-स्वामियों के नाम पर मुआवजा निर्धारण किया जावेगा। मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा।

4. राजस्व अभिलेख के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासिन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई-राजपत्र के रूप में समुचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02/10/15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम बडमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30/10/15 के अनुसार दिनांक 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. आपत्ति पत्र में भूमि का खसरा रकबा का उल्लेख नहीं है। ग्राम बडमाल के नीजि भूमि के अधिग्रहण हेतु पूर्व में अधिनियम 1894 के तहत धारा 4 (1) की कार्यवाही नहीं की गई है।

7. कमिश्नर बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकाशन प्रभावित ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

8. अधिनियम की धारा 21 की प्रभावित भू-स्वामियों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना में न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत दिनांक 27/06/16 एवं पुन प्रकाशन दिनांक 30/07/16 को धारा 21 की सुनवाई पूर्ण की गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से

Scanned by CamScanner

अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में, ग्राम प्रकाशन एवं रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया है।

9. आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पश्चात् नियत समय सीमा के अंदर प्रस्तुत आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में राजस्व अभिलेख के साथ प्रस्तुत पस्ताव एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेजों के अनुसार नियमानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर भू-अर्जन की जा रही है।

11. दिनांक 02/07/2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय रामसेवक पैकरा मंत्री छ.ग.शासन एवं प्रभारी मंत्री रायगढ़, जिलाध्यक्ष, एवं माननीय श्री रोशन लाल अग्रवाल विधायक विधान सभा क्षेत्र रायगढ़ सदस्य, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई । सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात दिनांक 8/07/16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /बिक्री छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के शेड्युल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए प्रस्तुत दावा/ आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

40. सुभाष, शिला, सुधा पिता पद्मलोचन, बोदाई बेवा पद्मलोचन, पदमन पिता चन्द्रभानु जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी यह कि आपत्तिकर्ता के सामिल हक के खाता कुल ख.नं. 4 कुल रकबा 0.737 हे. खं नं. 96/1, 106, 226/1, 249 रकबा कमशः 0.462, 0.150. 0.105,हे0 को एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु शासन द्वारा ख नं. 96/1 से रकबा 0.012 हे. ख.नं. 106 से रकबा 0.101 हे. ख.नं. 226/1 से रकबा 0.571 हे0 ख.नं. 249 से रकबा 0.053 हे भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। उपरोक्त अधिग्रहित भूमि में से शेष बचत भूमि आवेदक आपत्तिकर्ता के लिए कोई उपयोग नही होने से बचत भूमि को भी अधिग्रहण कर आपत्तिकर्ता को मुआवजा रकम दिलाया जाना उचित होगा।

तहसीलदार पुसौरएवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि महाप्रबंधक एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु ख.नं. 96/1 से रकबा 0.012हे. ख.नं. 106 से र कबा 0.101हे. ख. नं. 226/1 से रकबा 0.571हे. ख.नं. 249 से रकबा 0.053हे. भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित व प्रभावित रकबा से अधिक भूमि का अर्जन किया जाना संभव नहीं है।

41. हीरालाल पि कान्हू जाति गोड सा देह भू स्वामी आवेदक /आपत्तिकर्ता के भूमि स्वामी हक कि भूमि ग्राम बड़माल प.ह.नं. 30 तह0 पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. में ख.नं. 217, 253, 265, रकबा कमशः 0.121, 0.081, 0.846 हे. भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। उपरोक्त भूमि ख.नं. 217, 253, 265 रकबा कमशः 0.061हे. 0.081 हे. 0.445 हे भूमि को एन.टी.पी.सी.कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु शासन द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त भूमि ख.नं. 217 रकबा 0.121 हे. एवं 0.846 हे0 मे से 0.061, 0.0445 हे भूमि अधिग्रहण होने से शेष बचत भूमि आवेदक का उपयोग नही होगा इस कारण आवेदक शेष बचत भूमि को अधिग्रहण कर मुआवजा रकम दिलाये जाना उचित होगा।

एन.टी.पी.सी.कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु ख.नं. 217, 253, 265 रकबा कमशः 0.061हे, 0.081हे. 0.445हे. भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रस्तावित व प्रभावित रकबा से अधिक भूमि का अर्जन किया जाना संभव नहीं है।

42. श्रवण सरोज पि नान्हेराम सुक्रमति बेवा नान्हेराम जाति गोड सा देह भू स्वामी

Scanned by CamScanner

1. आपत्तिकर्ता अपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि ग्राम बड़माल स्थित खसरा नं. 214/3 रकबा 0.586 है. तह व जिला रायगढ़ (छ.ग.) भूमि को दिनांक 18/05/2012 को विधिवत पंजीकृत विक्रय के माध्यम से केता दुलार सिंह के पास सम्पूर्ण प्रतिफल राशि एवं साशन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क अदा कर विक्रय कर दिया गया है एवं उक्त विक्रय शुदा भूमि का सदेव के लिए कब्जा केता को प्रदान कर दिया गया है।
2. यह कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से केता के द्वारा विधिवत नामांतरण करा कर राजस्व अभिलेख अद्यतन कराया गया है। उक्त भूमि एनटीपीसी भू-अर्जन के तहत प्रभावित हो रही है तथा उक्त विक्रय शुदा भूमि को किन्ही कारणवशः भू-अर्जन की कार्यवाही की जाति है तो वह नाजायज व अवैध होगी। चूंकि मेरे द्वारा उक्त भूमि के एवज में सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके गवाहों के समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र में अपना हस्ताक्षर कर सदैव के लिये अपना हक में त्याग चुका हूँ तथा मैं निकट भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से पृथक रहना चाहता हूँ। इस हेतु मेरे विक्रय शुदा भूमि पर मेरे नाम से भू-अर्जन की कार्यवाही न किया जाना उचित होगा।
3. यह कि विक्रय के पश्चात शेष बचत भूमि पर भी मेरा अधिकार अनुरूप है अतएव शेष बचत भूमि पर ही भू-अर्जन की कार्यवाही मेरे सहमति से मेरे नाम पर किया जावे।
4. यह कि नवीन भू -अर्जन अधिनियम की धारा 84 में यह प्रावधानित है कि यदि किसी कृषक के द्वारा गलत जानकारी पुनर्वास और मुआवजा के प्रलोभन में दिये जाने पर अपराध गठित होती है, इस हेतु कृषक के विरुद्ध 100000/- रू. की अर्थ दंड एवं 6 माह के कारावास का प्रावधान है। अतएव मेरे द्वारा विक्रय की गई भूमि के संदर्भ में यह जानकारी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भविष्य में न्यायलयीन कारणों में अनावश्यक उलझना न पड़े।

प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में स्थल जांच के दौरान आपत्तिकर्ता सरोज कुमार एवं सुकमति द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है, और न ही हस्ताक्षर किया गया है। प्रस्तुत आपत्ति खारिज किया जावे। फलस्वरूप मौके पर पंचनामा तैयार कर संलग्न किया गया। आपत्ति खारिज की जाने योग्य है।

43. मिनकेतन पिता बुधुराम जाति संवरा सा0 तेतला भूमि स्वामी
यह कि मेरे हक स्वामित्व की भूमि स्वामी हक की भूमि 235 प.ह.नं. 30 के ख.नं. 228/2, रकबा 0.263 एवं ख. नं. 235/2 रकबा 0.065 ख.नं. 235/3 रकबा 0.093 ख.नं. 251/1 रकबा 0.053 कुल योग ख. नं. 4 रकबा 0.047 भूमि अर्जित की जा रही है। यह कि मेरे भूमि पर मुआवजा की राशी की 10,000,00/-रू. निर्धारित की गई है जो कि अत्यंत कम होने के कारण मुझे अधिग्रहण के बदले उक्त भू अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन की उचित प्रतिकर के रूप में मुझे 20.000.00/-रू. तथा मुझे अथवा मेरे परिवार के सदस्य को प्रतिनियुक्ति एवं बोनस की एक मुस्त राशि का भुगतान प्रदान किया जाये जिसके संबंध मे माननीय न्यायालय के समक्ष मे यह दावा आपत्ति निर्धारित समय प्रस्तुत है।
अधिग्रहण की जा रही भूमि का नियमानुसार अधिकतम दर पर मुआवजा राशि की गणना की जावेगी तथा प्रभावित भू-स्वामियों को अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।

44. यशोदा नि0 बड़माल निवेदन है कि आवेदिका यशोदा पति शंकर सिदार निवासी ग्राम बड़माल तह0 पुसौर कुल खसरा नं. 221/1 रकबा 0.265 है भूमि अधिग्रहण रेल लाईन के तहत जा रहा है। यह कि डिगरू निराकार, हान्डू पिता रत्ना जाती कोलता है। यह कि डिंगरू का मृत्यु हो चुका है। एवं निराकार हान्डू जाति कोलता वर्णीत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि डिगरू का नाम विलोपित एवं जाति कोलता के स्थान पर गोड़ सुधारे जाने एवं सुधार पश्चात पुनः नोटिस जारी कीये जाने की आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।
डिंगर का फौत हो चुका है। वारिस ग्राम में नहीं रहते । मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर या आवेदिका के उपस्थिति /सम्पर्क होने पर नामांतरण दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किया जावेगा।

45. अरविंद कुमार गर्ग पिता श्याम सुन्दर जाति अग्रवाल निवासी -सदर बाजार रायगढ़
1. आवेदक के भूमि स्वामी हक अधिकार एवं कब्जे की भूमि 222/4, 231/2, रकबा 0.045, एवं खसरा कमांक, 223/2, 224, 223/443, रकबा 0.470 कुल रकबा 0.915 है. व्यवसायिक उपयोग करने हेतु करा कर विधिवत काबिज है।
2. उक्त भूमि में से खसरा नं. 222/4 रकबा 0.016 है. एवं 231/2 रकबा 0.146 है. भूमि पर विधिवत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. रायपुर के रिटेल आउटलेट डिलर बन कर पेट्रोल/डिजल पंप वर्तमान में संचालित है उक्त भूमि में से 231/2 एवं आपत्तिकर्ता के स्वयं की व्यवसायिक ट्रायवटे भूमि खसरा 224 रकबा 0.020 है.

Scanned by CamScanner

भूमि अधिग्रहण के संबंध में निम्ननुसार अभिकथन करते हुए अपनी आपत्ति पुस्तुत करता है। यह कि खसरा क. 231/2 रकबा 0.145 है. भूमि पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के रिटेल डिलरशीप अनावेदक को प्राप्त है अनावेदक के द्वारा जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ से विस्फोटक लाइसेंस दिनांक 28/02/2013 को प्राप्त किया है तथा अन्य विभागो से अनापत्ति प्राप्त करके पेट्रोल पंप की स्थापना किया गया है।

3. यह कि उक्त पेट्रोल /डिजल पंप स्थापित करने हेतु विधिवत पेट्रोल स्पलाई टंकीयों का विधिवत निर्माण कराया गया है जो ख. कमांक 231/2 पर पेट्रोल/डिजल स्पलाई की टंकीया स्थापित है और इसी भूमि पर पेट्रोल/डिजल वितरणमशीन भी स्थापित है पेट्रोल/डिजल संचालन हेतु कार्यालय की स्थापना की गई है तथा खसरा कमांक 224 में स्टाप क्वाट्रर स्थापित है टायलेट, पानी टंकी, पानी स्पलाई बोर हवा मशीन आदि स्थापित है। इसके अतिरिक्त मुख्य सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग है वहां से पेट्रोल/डिजल पंप के संचालन हेतु पक्के की बौउडरी बाल तथा पंप के संचालन के लिये ट्रांसफारर्म विधुत के आधुनिक उपकरण का भी निर्माण कराया गया है इस तरह से सम्पूर्ण पेट्रोल पंप के निर्माण में तकरीबन 2 करोड़ की लागत लगायी गई तत्पश्चात विधिवत पेट्रोल/डिजल पंप का संचालन अनावेदक के द्वारा करते आ रहा है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि पर ख.क. 224/2 मे इमारति वृक्ष भी स्थापति है परन्तु राजस्व कर्मचारी के द्वारा जानबुझ कर उक्त तथ्य का उल्लेख नही किया है स्थल निरक्षण करने पर माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चाई आ जावेगा।

5. यह कि पेट्रोल/डिजल पंप की स्थापना लोकहित एवं राष्ट्रीय राज मार्ग पर है जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ एवं अन्य आवश्यक विभागो की अनापत्ति प्राप्त कर पेट्रोल पंप की स्थापना की गई है जो जनहित में है ऐसी संपत्ति का औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किया जाना उचित नहीं है और वह विधि विरूद्ध है।

6. यह कि धारा 21 पुनर्वासन एवं पुनर्वास में उचित प्रतिक एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के पूर्व के विधि का अनुशरण तथा आज्ञापन विधि नियम का समूचित पालन किये बिना धारा 21 पूनर्वास एवं पुनर्वासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 213 के तहत कार्यवाही विरूद्ध है।

7. यह कि अधिनियम के द्वारा बनाये गये धारा 21 के पूर्व धारा 21 के आज्ञापक प्रवधानों का पालन नहीं किया गया है। और न ही इस प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है उसका विशेष उल्लेख किया है और आंनफांन मे कार्यवाही कि जा रही है।

8. यह कि अर्जन कि जाने वाली उपरोक्त भूमि का विधिवत परिवर्तित है और रायगढ़ झारसुगड़ा राष्ट्रीय राज मार्ग कमांक 200 जिसका नया नंबर 49 पर स्थापित है।

9. यह कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर को प्रकरण में यह जानते हुए भी कि वर्ष 2013 से पेट्रोल/डिजल पंप स्थापित है पक्षकार बनाये बिना अनावेदक कि भूमि पर पेट्रोल/डिजल पंप का अर्जन किया जाना विधि विरूध्द है उक्त प्रकरण में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर आवश्यक पक्षकार है।

10. यह कि अनावेदक के उपरोक्त भू अर्जन की जाने वाली भूमि को 30 वर्ष के लिज में निर्धारित फिस पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के द्वारा लेकर उस पर पेट्रोल/डिजल पंप की स्थापना की गई है।

11. यह कि अनावेदक अपने आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट एवं साक्ष्य का खंडन करना चाहता है कुट परिक्षण करना चाहता है साथ ही साथ अनावेदक यह निवेदन करना चाहता है कि उपरोक्त भू अर्जन वाली भूमि का स्थल निरिक्षण अनावेदक/आपत्तिकर्ता की उपस्थित में किया जावे।

12. यह कि अनावेदक विधि आधार पर विधिक प्रवधानों का पालन करते हुए यदि सार्वजनिक तथा लोकहित में भूमि का अधिग्रहण करना चाहते है तो अनावेदक के उपरोक्त पेट्रोल/डिजल पंप से तीन सौ मीटर की दूरी की भूमि विधिवक अर्जित कि जाती है तो पेट्रोल/डिजल पंप की रक्षा भी हो जावेगी जो लोकहित में है।

13. यह कि उपरोक्त परिस्थिती में आपत्ति स्वीकार किया जाकर अनावेदक/आपत्तिकर्ता के व्यप्रतित भूमि (परिवर्तित व्यव्सायिक प्रयोजन) खसरा नं. 224 रकबा 0.020 है. एवं 231/2 रकबा 0.145 है. कुल रकबा 0.165 है. भूमि अधिग्रहित नही किया जाना न्यायोचित है।

14. यह कि अनावेदक के पास पेट्रोल/डिजल पंप का व्यवसाय है उक्त व्यवसाय के समाप्त हो जाने की दशा में अनावेदक जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जिसे बेरोजगारी का सामना करना पडेगा जो कि सामाजिक तथा उसके व्यक्तिगत रूप से घोर नुकसान का सामना करना पडेगा तथा पंप में काम करने वाले व्यक्ति भी बेरोजगार हो जायेंगे।

Scanned by CamScanner

तहसीदार पूसौर ह.प. से जांच पतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया है। कि स्थल जांच में खसरा नं. 224 एवं 231/2 पर पेट्रोल पंप संचालित है ख.नं. 231/2 एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल निमार्ण में प्रभावित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 93 के तहत मूक्त करने हेतु प्रस्तावित कि जा रही है।

ख.नं. 224 पर स्थित निमार्ण क्षेत्र स्टाफ क्वार्टर, टायलेट, पानी टंकी, पानी सप्लाई बोर, हवा मशीन आदि प्रभावित नहीं हो रहा है। स्थल जांच में ख.नं. 224 के प्रभावित क्षेत्र में एक नग नीम पेड़ गणना योग्य पाया गया प्रस्तावित भू-अर्जन औद्योगिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक जनहित में विधि अनुसार किया जा रहा है।

प्रकरण में अधिनियम का शासन के निर्देशानूसार पालन करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। आपत्तिकर्ता के प्रभावित भूमि रायगढ़ झारसुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर है। अपत्तिकर्ता की भूमि पर स्थापित पेट्रोल डीजल पंप भू-अर्जन से प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रकरण में पस्तुत राजस्व अभिलेखों में प्रस्तावित भूमि ख.नं. 224 रकबा 0.020 एवं ख.नं.231/2 रकबा 0.324 हे0 अरविन्द कुमार गर्ग पिता श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल निवासी सदर बाजार रायगढ़ के दर्ज नाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

तहसीदार रायगढ़ की ओर से हल्का पटवारी द्वारा आपत्तिकर्ता को सूचना देकर उनके प्रतिनिधि एवं आवेदक निकाय के अधिकारी की उपस्थिति में स्थल जांच किया गया

प्रस्तावित भू-अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन हेतु की जारी है। जिसका निमार्ण योजना का सक्षम अधिकारी द्वारा सभि सम्भावित विकाल्पों का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया है। अतः परिवर्तन संभव नहीं है।

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित ख.नं. 224 एवं 231/2 में से 231/2 एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल निमार्ण में प्रभावित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 93 के तहत मूक्त करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। शेष रकबा अधिग्रहण से मूक्त किया जाना संभव नहीं है।

तहसीदार पूसौर एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है। कि राजस्व अमला के साथ स्थल जांच कर आपत्तिकर्ता को स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित रेल लाईन पेट्रोल पंप के किनारे से निकल रही है। पेट्रोल पंप संचालन प्रभावित नहीं होगा।

तहसीदार पूसौर एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल जांच किया गया आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर हेतु सहयोग नहीं दिया गया।

46. तोषराम पिता स्व. सुकदेव जाति गोंड़ निवासी बड़माल आपत्तिकर्ता के शामिल हक के खाता मे कुल ख.नं.18 कुल रकबा 6.921 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है।उपरोक्त भूमि मे से कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 0.753 हे0 भूमि को शासन द्वारा एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना रेल लाईन निर्माण हेतु अधिग्रहण किया जा रहा है। उपरोक्त अधिग्रहण प्रकरण नोटिस में आपत्तिकर्ता तोषराम का नाम छुटा है। शेष सहखातेदार तुलेश्वर पिता सुखदेव , रसमती बेवा सुखदेव का नाम दर्ज है। उपरोक्त अधिग्रहण प्रकरण में आपत्तिकर्ता तोषराम पिता सुकदेव का नाम संयोजित किया जाकर भूमि कि मुआवजा रकम प्रदाय किया जावे।

तहसीदार पूसौर एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया हैं कि राजस्व अभिलेखों में तोषराम का नाम दर्ज है। और भू-अर्जन प्रकरण में तोषराम का नाम जोड़ा गया है।

(6) उपरोक्त अधिगहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 20/10/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 20/10/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार पूसौर की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। प्रकरण में भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल खसरा नं. 69 कुल रकबा 8.834 हे0 में निजी भूमि खसरा नं. 231/2 रकबा 0.145 हे., 221/2 रकबा 0.085 हे., 221/3 रकबा 0.129 हे., 111/1 रकबा 0.008 हे., 232/1 रकबा 0.028 हे., 26/1 रकबा 0.020हे. भूमि प्रभावित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 93 के तहत अवत्यजन

Scanned by CamScanner

हेतु प्रस्तावित करते हुए शेष अर्जित की जा रही निजी भूमि कुल खसरा नं. 63 कुल रकबा 8.238 है. भूमि का स्थल जांच मय पंचनामा कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक भाग-1 क भाग-1 ख, भाग-1ग, भाग-1घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर,औसत बिक्रीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	777000/-	713005/-	800000/-
खार राष्ट्रीय राज्य मार्ग से लगकर	1822000/-	713005/-	800000/-

(क) भूमि का मुआवजा -

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा	गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	असिंचित खार	7.677	24754877/-	5473739/-	15175894/-	24754877/-
2	खार राष्ट्रीय राज्य मार्ग से लगकर	0.561	4241889/-	399995/-	1108985/-	4241889/-
	योग:-	8.238	28996766/-	5873734/-	16284879/-	28996766/-

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा - निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा - रू. 380073/-

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. 29376839/-

(8) प्रकरण में भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनेज परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरा नं. 63 कुल रकबा 8.238 है. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये 29376839/- (अक्षरांक दो करोड़ तिरानवे लाख छिहत्तर हजार आठ सौ उन्चालीस रूपये मात्र) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति का मुआवजा गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनेज परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग महानदी भवन नाया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-4-03/सात 1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू-अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र एफ 4-28/सात 1/2014 दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड -लाईन वर्ष 2015-16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर अधिक होने के कारण गाईड लाईन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक 146 /भू-अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 23-01-2017
24

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि रू. (अंकराक दो करोड़ तिरानबे लाख छिहत्तर हजार आठ सौ उन्चालीस रुपये मात्र) अवार्डधारियों को भुगतान करने हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भू-स्वामी को उपलब्ध करावें प्रकरण में समय सीमा के भीतर पुनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन गणना पत्रक के साथ शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार,पुसौर को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं.पुसौर को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।
7. पटवारी हल्का नं. 30 को अभिलेख दुरुस्ती हेतु अग्रेषित।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
रायगढ़ (छ0ग0)

Scanned by CamScanner